विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या : 277/वि0स0/प0का0/76(प)/2005
लखनऊ, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-सोनभद्र, 403, दुद्धी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री राम दुलार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री राम दुलार, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-403, दुद्धी को विचारण न्यायालय एडीजे-प्रथम, सोनभद्र (एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-483/2014, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-35/2015, धारा-376, 506 भा0द0वि0 व धारा-5 (ठ/6) पॉक्सो अधिनियम, थाना म्योरपुर में दोषसिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कारावास (जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास) व मुबलिक 10,00,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। धारा-506 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार श्री राम दुलार दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से निरर्ह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री राम दुलार का उक्त स्थान दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 277(1-8)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1-मा0 राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को मा0 राज्यपाल की सूचनार्थ,
2-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
3-जिलाधिकारी, सोनभद्र,
4-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
6-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
7-श्री राम दुलार, ग्राम व पोस्ट-रासपहरी, तहसील-दुद्धी, जनपद-सोनभद्र,
8-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

मोहम्मद मुशाहिद,
विशेष सचिव।